भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 15
सोमवार, 20 जुलाई, 2026 (29 आषाढ़ 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

भद्राद्री कोठागुडेम में हरित विमानपत्तन के प्रस्ताव हेतु सर्वेक्षण और मंजूरी

15. श्री रविचंद्र वद्दीराजूः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जून, 2026 में तेलंगाना सरकार द्वारा भद्राद्री कोठागुडेम हरित विमानपत्तन हेतु सीतामपेट और सुजाथानगर क्षेत्रों में स्थित 667 एकड़ के नए चिह्नित, बाधारहित स्थल के उपयोग का प्रस्ताव करते हुए नई व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा तकनीकी स्थल निरीक्षण किए जाने की समय-सीमा क्या है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि यह क्षेत्र चार राज्यों की सीमा से लगा हुआ है और यह वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित आकांक्षी जिले के रूप में चिह्नित है; और

(ग) इसके अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संशोधित उड़ान योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): जनवरी, 2025 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रस्तावित स्थल (रामावरम, चुंचुपल्ली और सुजाता नगर गांव) का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। स्थल के चारों ओर पहाड़ियों/रेलवे लाइन के कारण यह स्थल व्यवहार्य नहीं पाया गया था। इसके अतिरिक्त, भद्राद्री कोठागुडेम में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के तहत 'साइट क्लीयरेंस' माँगने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के वित्तपोषण सहित इनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता की होती है।
